<u>Bill No. 25 of 2019</u>

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Second Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 43 of 1956. - In section 3 of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted;

(ii) in clause (a), for the existing expression "fifty five thousand rupees ", the expression "seventy five thousand" shall be substituted;

(iii) in clause (b), for the existing expression "forty five thousand rupees" , the expression "sixty five thousand rupees" shall be substituted;

(iv) in clause (bb), for the existing expression "ten thousand five hundred rupees", the expression "sixty five thousand rupees" shall be substituted;

(v) in clause (c), for the existing expression "forty two thousand rupees", the expression "sixty two thousand rupees" shall be substituted; and

(vi) in clause (d), for the existing expression "forty thousand rupees", the expression "sixty thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 4 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fifty five thousand rupees", the expression "eighty five thousand rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (1-A),-

(a) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 1998 (Act No. 4 of 1998)", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "six thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted;

(iii) in sub-section (2),-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted;

(iv) in sub-section (3),-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted; and

(v) in sub-section (4),-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "forty thousand rupees", the expression "sixty thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In clause (c) of sub-section (3) of section 5 of the principal Act, for the existing expression “ten thousand”, the expression “thirty thousand” shall be substituted.

5. Amendment of section 7-B, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 7-B of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "forty thousand rupees", the expression "sixty thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (3),-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "seventy thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the present level of price, the existing salary and sumptuary and other allowances payable to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries appear to be inadequate. Under these circumstances, it has been considered expedient to increase the salary and sumptuary and other allowances payable to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries, and, therefore, necessary amendments in sections 3, 4, 5 and 7-B of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) have been respectively proposed vide clauses 2,3,4 and 5 of the Bill.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत]
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (40) विधि/2/2019 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2019 प्रेषकः श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषितीः सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3, 4 and 5 of the Bill, if enacted, shall involve a recurring expenditure of about rupees 2,10,00,000/- per annum.

अशोक गहलोत]
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES ACT, 1956

(Act No. 43 of 1956)

XX XX XX XX XX XX XX

3. Salaries of Ministers.- There shall be paid with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later-

(a) a salary of fifty five thousand rupees per mensem to the Chief Minister,

(b) a salary of forty five thousand rupees per mensem to a Minister other than a Minister of State and a Deputy Minister,

(bb) a salary of ten thousand five hundred rupees per mensem to a Deputy Chief Minister,

(c) a salary of forty two thousand rupees per mensem to a Minister of State, and

(d) a salary of forty thousand rupees per mensem to a Deputy Minister.

4. Sumptuary allowance.- (1) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid to the Chief Minister with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of fifty five thousand rupees per mensem.

(1-A) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, to a Deputy Chief Minister with effect from the date of commencement of the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 1998 (Act No. 4 of 1998) or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of six thousand rupees per mensem.

(2) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Minister, other than the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem.

(3) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Minister of State, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem.

(4) In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, to every Deputy Minister a sumptuary allowance of forty thousand rupees per mensem.

5. Residence and conveyance.- (1) and (2) xx xx xx

(3) A Minister shall be paid a monthly allowance of-

(a) and (b) xx xx xx xx xx xx

(c) ten thousand rupees, if the State Government fails to provide Government accommodation to him in Jaipur and he lives in his own house or in the house owned by his spouse in Jaipur or in a rented house in Jaipur and avails himself of the use of furniture to which he is entitled under sub-section (1), at such house; and

(d) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

7-B. Salaries, allowances and amenities to Parliamentary Secretaries.- (1) With effect from 1st April, 2017 or the date on which he may thereafter enter upon his office, there shall be paid to a Parliamentary Secretary a salary of forty thousand rupees per mensem and such travelling and other allowances as may be prescribed.

(2) xx xx xx xx xx xx xx xx

(3) In addition to the salary and other allowances payable under sub-section (1), there shall be paid to every Parliamentary Secretary, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date he may thereafter enter upon his office, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem.

XX XX XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 25

¼प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद½

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचपन हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पिचहत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) खण्ड (खख) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दस हजार पाँच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) खण्ड (ग) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "बयालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बासठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) खण्ड (घ) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "पचपन हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पिचासी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (1-क) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ की तारीख से उसे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019 से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "छह हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) उप-धारा (4) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 7-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7-ख में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों के वर्तमान स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय विद्यमान वेतन और सत्कार तथा अन्य भत्ते अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। इन परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को संदेय वेतन और सत्कार तथा अन्य भत्तों में वृद्धि करना समीचीन समझा गया है, और इसलिए, राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) की धारा 3, 4, 5 और 7-ख में आवश्यक संशोधन इस विधेयक के क्रमश: खण्ड 2, 3, 4 और 5 द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत]
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (40) विधि/2/2019 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2019 प्रेषकः श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2, 3, 4 और 5, यदि अधिनियमित किये जाते हैं, तो इससे लगभग 2,10,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

अशोक गहलोत]
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

3. मंत्रियों के वेतन.- 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, जो भी बाद में हो,-

(क) पचपन हजार रुपये प्रति मास का वेतन मुख्यमंत्री को,

(ख) पैंतालीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन राज्य मंत्री या उप-मंत्री से भिन्न मंत्री को,

(खख) दस हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमास का वेतन उप-मुख्यमंत्री को,

(ग) बयालीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन राज्य मंत्री को, और

(घ) चालीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन उप-मंत्री को,

संदत्त किया जायेगा।

4. सत्कार भत्ता.- (1) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, मुख्यमंत्री को पचपन हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(1-क) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 4) के प्रारंभ की तारीख से उसे या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, उप-मुख्यमंत्री को छह हजार रुपये प्रतिमास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(2) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, मुख्यमंत्री, किसी राज्य मंत्री और किसी उप-मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री को पचास हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(3) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे प्रत्येक राज्यमंत्री को पचास हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

(4) धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के अतिरिक्त, 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, प्रत्येक उप-मंत्री को चालीस हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

5. निवास स्थान तथा सवारी.- (1) और (2) XX XX XX

(3) मंत्री को निम्नलिखित मासिक भत्ता संदत्त किया जायेगा:-

(क) और (ख) XX XX XX XX XX

(ग) यदि राज्य सरकार उसे जयपुर में सरकारी वास सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहे और वह जयपुर में स्वयं के गृह में या अपने पति/पत्नी के स्वामित्व वाले गृह में रहे या जयपुर में किराये पर लिये गये गृह में रहे और ऐसे गृह में उस फर्नीचर का उपयोग करे जिसका हकदार वह उप-धारा (1) के अधीन है, तो दस हजार रुपये; और

(घ) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

7-ख. संसदीय सचिवों को वेतन, भत्ते तथा सुख-सुविधाएं.- (1) संसदीय सचिव को 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, चालीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन और ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो विहित किये जाएं।

(2) XX XX XX XX XX

(3) प्रत्येक संसदीय सचिव को उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन और अन्य भत्तों के अतिरिक्त 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करे, पचास हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 25

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 25 of 2019

THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)